

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(03) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 12/3/24

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में नियुक्त निम्नांकित अतिरिक्त महाधिवक्ता /एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को उनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र स्वीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	अधिवक्ता का नाम	पदनाम
01	डॉ० मनीष सिंघवी	अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली
02	श्रीमती निलोफर खान	अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली
03	श्री डी.के. देवेश	एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली


आज्ञा से



(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
6. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
8. समस्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रशासक वादकरण, गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
9. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
11. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
16. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
17. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
18. डॉ० मनीष सिंघवी एवं श्रीमती निलोफर खान अधिवक्ता को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आपको आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां श्री शिवमंगल शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली को संभलवाकर कार्यमुक्त हों।
19. श्री डी०के० देवेश, अधिवक्ता को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु आपको आवंटित प्रकरणों की पत्रावलियां सुश्री निधि जसवाल, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली को संभलवाकर कार्यमुक्त हों।
20. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
22. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
23. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।

  
12/3/24  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि